क्रमांक **2169**-ज(**II**)-**81/44089**.--श्री रामजी लाल, पुत्र श्री मंगल, गांव बख्वा, तहसील कोसली, जिला रोहतक, की दिनांक 23 जून, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामजी लाल को मुबलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6093-र-4-67/4503, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती धन कौर के नाम रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 दिसम्बर, 1981

क्रमांक **2335**-ज-**I-81/45088**.—श्री गोरधन सिंह, पुत्र श्री चुनी लाल, गांव सिहोर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 11 जून, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्पाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधत किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोरधन सिंह को मुबलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2449-जे.एन.-III-66/4842, दिनांक 26 मार्च, 1966, 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती घोत्रड़ी के नाम रबी, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2361**-ज(**I**)-**81/45092**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री किशोरी लाल, पुत्र श्री चूना राम, ग्राम कनूका, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2209**-ज(**I**)-**81/45191**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है) की धारा (2ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती गारली, विधवा श्री नेकी राम, गांव व तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, को रबी, 1968 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 8 जनवरी, 1982

क्रमांक **2357**-ज-**I-81/961**.--श्री सोम राज, पुत्र श्री दौलत राम, गांव भिवानी, तहसील व जिला भिवानी, की दिनांक 3 अप्रैल, 1981, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सोम राज को मुबलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 562-ज-I-76/13148, दिनांक 4 मई, 1976 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती शान देवी के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 12 जनवरी, 1982

क्रमांक **2484**-ज(**II**)-**81/1223**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री अनूप सिंह, पुत्र श्री मनशा राम, गांव कुलासी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।